रिपोर्टेबल

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सिविल) संख्या 246/2011में

अवमानना याचिका(सिविल) संख्या 411/2014

अविषेक राजा और अन्य - याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

संजय गुप्ता - प्रतिवादी (गण)

के साथ

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 246/2011में अवमानना याचिका(सिविल) संख्या 33/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 572/2014,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 34/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 571/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 38/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 46/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 264/2012में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 50/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 510/2011में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 158,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 510/2011में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 174/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 101/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011मेंअवमानना याचिका (सिविल) संख्या 103/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 104/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 105/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 मेंअवमानना याचिका (सिविल) संख्या 106/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 107/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 109/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 110/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 111/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 112/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 113/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 120/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 121/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 127/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका(डब्ल्यूपी) संख्या 128/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 129/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 131/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 132/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 133/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 134/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 149/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 150/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 151/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 152/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 153/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 154/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 155/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 102/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 510/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 157/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 283/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 284/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 285/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 286/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 290/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 283/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 284/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 287/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 288/2015,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 246/2011 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 291/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या 264/2012 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 450/2014,

डब्ल्यूपी(सी) संख्या 264/2012 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 385/2014,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25425/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25424/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25423/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25427/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25426/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25426/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25583/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 21713/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25577/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 12967/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25581/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 23904/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25578/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25579/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25431/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25432/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 26077/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 26256/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 26078/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 25430/2015,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल) डी संख्या 8429/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या20025/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 23077/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 18567/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 27528/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 33442/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 33441/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 36110/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 36227/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 36810/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या40055/2016,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका (सिविल) डी संख्या 972/2017,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 11857/2017,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल) डी संख्या 6277/2017,

डब्ल्यूपी(सी)संख्या246/2011में अवमानना याचिका(सिविल)डी संख्या 13520/2017,

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 998/2016,

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 148/2017,

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 209/2017

## निर्णय

**रंजन गोगोई, न्यायाधीश**

1. देश भर के समाचार पत्र संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (इसमें इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम') को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेच्युटी की पात्रता, काम के घंटे, अवकाश के साथ-साथ समाचार पत्र संस्थानों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों, जो भी मामला हो,को देय वेतन के निर्धारण से संबंधित एक व्यापक कानून है। जहां तक वेतन के निर्धारण और संशोधन का संबंध है, श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में वेतन के इस तरह के निर्धारण या संशोधन को अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित किए गए वेतन बोर्ड के ऊपर छोड़ा गया है। वेतन बोर्ड की सिफारिशें, यदि स्वीकार की जाती हैं, अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जानी हैं। अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि धारा 12 के तहत केंद्र सरकार के आदेश के अमल में आने पर प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार उस दर से वेतन पाने का हकदार होगा जो आदेश में निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगा। अधिनियम के अध्याय IIक में समाचार पत्र संस्थानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में समान प्रावधान शामिल हैं।

2. अधिनियम की धारा 16 यह प्रावधान करती है कि इसके प्रावधान "किसी भी अन्य कानून में निहित या किसी भी अधिनिर्णय, समझौते या सेवा के अनुबंध के संदर्भ में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में बनाया गया हो।"धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के परंतुक के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और इसलिए, इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

उप-धारा (1) धारा 16 का परंतुक

"परन्तु जहां किसी ऐसे अधिनिर्णय, समझौते, सेवा के अनुबंध या अन्य के तहत, एक समाचार पत्र कर्मचारी किसी भी ऐसे मामले के संबंध में लाभ पाने का हकदार है जो उसके लिए इस अधिनियम के तहत हकदार होने की तुलना में अधिक अनुकूल है, समाचार पत्र कर्मचारी इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम के अधीन अन्य मामलों के संबंध में लाभ प्राप्त करता है, उस मामले के संबंध में अधिक अनुकूल लाभ का हकदार बना रहेगा।

धारा 16 की उप-धारा 2

इस अधिनियम में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि समाचार पत्र कर्मचारी को किसी भी मामले के संबंध में अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए एक नियोक्ता के साथ एक समझौता करने से रोका जा रहा है जो कि इस अधिनियम के तहत लाभकारी होने की तुलना में उसके लिए अधिक अनुकूल है।"

3. धारा 16ए नियोक्ता पर धारा 12 या धारा 12 सपठित धारा 13एए या धारा 13 डीडी के तहत केंद्र सरकार के एक आदेश में निर्दिष्ट दरों पर समाचार पत्र कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के लिए उसकी देयता के कारण किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने या सेवामुक्त करने के लिए एक प्रतिबंध लगाता है।

4. अधिनियम की धारा 17 नियोक्ता से देय धन की वसूली से संबंधित है। वर्तमान अवमानना के मामलों की संधारणीयता एक मुख्य मुद्दे के रूप में अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए उपचार के इर्द-गिर्द केंद्रित है, अधिनियम की धारा17 को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

“17. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी समाचार पत्र कर्मचारी को किसी नियोक्ता से कोई राशि देय है, तो समाचार पत्र कर्मचारी स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, या उस कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके परिवार का कोई सदस्य, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देय रकम की वसूली के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है और यदि राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कोई राशि देय है, तो वह उस राशि के लिए जिलाधीश को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और जिलाधीश उस राशि की वसूली के लिए उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जैसे बकाया भूमि राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जाती है।

2. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी समाचार पत्र कर्मचारी को उसके नियोक्ता की ओर से देय रकम के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या उसे किए गए आवेदन पर उस प्रश्न को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के

अधीन या राज्य में प्रवृत्त औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटान से संबंधित किसी समतुल्य विधि के अधीन उसके द्वारा गठित किसी श्रम न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगी और उक्त अधिनियम या विधि श्रम न्यायालय के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगी मानो इस प्रकार निर्दिष्ट प्रश्न उस अधिनियम या विधि के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया हो।

3. श्रम न्यायालय का निर्णय उसके द्वारा उस राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा जिसने निर्देश किया था और श्रम न्यायालय द्वारा देय कोई रकम उपधारा (1) में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी।"

5. अधिनियम की धारा 17 बी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

6. केंद्र सरकार ने धारा 9 और 13सी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.05.2007 को मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डॉ. नारायण कुरुप की अध्यक्षता में दो वेतन बोर्डों का गठन किया था, ताकि श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार

कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का निर्धारण किया जा सके। चूंकि न्यायाधीश कुरुप ने 31 जुलाई, 2008 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था,इसलिए न्यायाधीश जी. आर. मजीठिया (बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) को 04 मार्च, 2009 को दोनों वेतन बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायाधीश मजीठिया की अध्यक्षता वाले वेतन बोर्डों (इसके बाद "मजीठिया वेज बोर्ड"के रूप में संदर्भित) ने 31.12.2010 को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार ने इसे 25 अक्टूबर, 2011 को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 12 के तहत इस आशय की अधिसूचना 11 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित की गई।

7. अधिनियम की धारा 12 के तहत 11.11.2011 को सरकारी अधिसूचना प्रकाशित होने से पहले ही मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय से प्रभावित विभिन्न समाचार पत्र संस्थानों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करके वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती दी थी, इसमें मुख्य प्रकरण 2011 की रिट याचिका (सी) संख्या 246 थी। रिट याचिकाओं के विचाराधीन रहने के दौरान अधिनियम की धारा 12 के तहत 11.11.2011 को अधिसूचना जारी की गई, जिसे रिट याचिकाओं में संशोधन द्वारा चुनौती दी गई।

8. पूर्वोक्त रिट याचिकाओं में चुनौती, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर थी कि यह अधिनियम वर्ष 1974 में किए गए संशोधन सहित संवैधानिक रूप से अमान्य था और आगे यह कि वेतन बोर्डों का गठन अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत था। श्रमजीवी पत्रकारों के साथ-साथ गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने में वेतन बोर्डों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण थी,जिसमे न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

9. वेतन बोर्ड की सिफारिशों के साथ-साथ उक्त सिफारिशों को स्वीकार करने वाली 11.11.2011 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली उपर्युक्त रिट याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 07.02.2014 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस चरण में प्रश्नगत रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले न्यायालय के दिनांक 07.02.2014 के निर्णय में निम्नलिखित निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

> "(i) कार्यवाही के रिकॉर्ड और विभिन्न लिखित सूचनाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि मजीठिया वेज बोर्ड की कार्यवाही एक वैध तरीके से संचालित की गई थी और वेज बोर्ड का कोई भी निर्णय एकतरफा या मनमाने ढंग से नहीं लिया गया है। बल्कि

वेतन बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न आंकड़ों को सुसंगत तरीके से संसाधित करने के बाद सभी निर्णय लिए गए और हमें आक्षेपित वेतन बोर्डों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं मिली।

(ii) प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, हम संतुष्ट हैं कि वेतन बोर्ड द्वारा वेतन संशोधन के उद्देश्य के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करके व्यापक और विस्तृत अध्ययन किया गया है। ये सिफारिशें आधुनिक युग में वेतन संशोधन की प्रक्रिया और सिद्धांतों में विभिन्न तरीकों के पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद की गई हैं। यह नहीं माना जा सकता है कि मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना अनुचित है।

(iii) हमने सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच की है। यह स्पष्ट है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया गया है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में निहित 'परिवर्तनीय वेतन'की अवधारणा को केवल यह

सुनिश्चित करने के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किया गया है कि समाचार पत्र के कर्मचारियों का वेतन अन्य सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर हो। मजीठिया वेज बोर्ड ने सावधानी से विचार करने के बाद इस तरह का निगमन किया था, ताकि समाचार पत्र संस्थानों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके और ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में था।

(iv) तदनुसार, हम मानते हैं कि वेतन बोर्डों की सिफारिशें कानूनी रूप से वैध हैं, जो वास्तविक और स्वीकार्य विचारों पर आधारित हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसमें हस्तक्षेप के लिए कोई वैध आधार नहीं है। परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(v) हमारे निष्कर्ष और सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने के मद्देनजर, जब भारत सरकार ने मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशों को अधिसूचित कर दिया है, संशोधित/निर्धारित वेतन 11 नवम्बर, 2011 से देय होगा। सभी पात्र व्यक्तियों को मार्च, 2014 तक के सभी

बकाया का भुगतान आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर चार समान किश्तों में किया जाएगा और अप्रैल, 2014 से संशोधित वेतन का भुगतान किया जाएगा।"

(रेखांकन हमारा है)

10. मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय पर एक दृष्टि डालने से पता चलता है कि वेज बोर्ड ने संस्थानों के पिछले तीन लेखा वर्षों, यानी 2007-08, 2008-09, 2009-10 के औसत सकल राजस्व के आधार पर समाचार पत्र संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। औसत सकल राजस्व के आधार पर समाचार पत्र संस्थान की आठ श्रेणियां तैयार की गईं और श्रमजीवी तथा गैर-कार्यरत पत्रकार कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ये सिफारिशें न केवल संशोधित वेतनमान और "परिवर्तनीय वेतन"के संबंध में थीं, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, पहाड़ी क्षेत्र भत्ता (कठिनाई भत्ता) आदि की संशोधित दरों के संबंध में भी थीं।

11. इस स्तर पर मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के खंड 20 (जे) पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है, जो वर्तमान कार्यवाही में विवाद के मुख्य बिन्दुओं में से एक है।

“20 (जे) संशोधित वेतनमान 1 जुलाई, 2010 से सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। तथापि, यदि कोई कर्मचारी इन सिफारिशों को लागू करने वाली सरकारी अधिसूचना, जो अधिनियम की धारा 12 के तहत है,के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपने मौजूदा वेतनमान और 'मौजूदा परिलब्धियों'को बनाए रखने के विकल्प का उपयोग करता है, तो वह अपने मौजूदा वेतनमान और इस तरह की परिलब्धियों को बनाए रखने का हकदार होगा।"

12. मजीठिया वेतन बोर्ड अधिनिर्णय में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि जिन संस्थानों को पिछले तीन लेखा वर्षों के दौरान भारी नकद नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें बकाया राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी, जो नीचे उद्धृत अधिनिर्णय के खंड 21 से स्पष्ट है।

"21. अधिनिर्णय के प्रवर्तन की तिथि से देय बकाया, यदि कोई हो, पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, अधिनिर्णय के प्रवर्तन की तिथि से प्रत्येक छह महीने के बाद तीन समान किश्तों में भुगतान किया जाएगा और पहली किश्त का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाएगा;

परंतु उन समाचार पत्र संस्थानों को, जिन्हें अभिनिर्णय के कार्यान्वयन की तिथि से पहले के तीन लेखा वर्षों के दौरान भारी नकद नुकसान उठाना पड़ा है, किसी भी बकाया राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी। हालांकि, इन समाचार पत्र संस्थानों को अभिनिर्णय के कार्यान्वयन की तारीख, यानी 1 जुलाई, 2010 से संशोधित वेतनमान में अपने कर्मचारियों के वेतन या तंख्वाह को अनुमानित आधार पर तय करना होगा।"

13. यह आरोप लगाते हुए वर्तमान अवमानना याचिकाएं (संख्या 83) दायर की गई हैं कि केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित और अधिसूचित मजीठिया वेज बोर्ड के अधिनिर्णय के अनुसार मजदूरी और भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तीन (3)रिट याचिकाएं, अर्थात याचिका संख्या 998/2016, याचिका संख्या 148/2017और याचिका संख्या 299/2017भी दायर की गई हैं, जिनमें संबंधित पत्रकारों और कर्मचारियों के मनमाने ढंग से स्थानांतरण और बर्खास्तगी/छंटनी का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के उचित कार्यान्वयन की मांग की है। वर्तमान मामलों के समूह में उपर्युक्त विचारणीय विषय हैं।

14. इसमें शामिल मुद्दों और इस न्यायालय में बड़ी संख्या में लाई गई अवमानना याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए, विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। दिनांक 28.4.2015, 14.3.2016 और 8.11.2016 के आदेश जो नीचे उद्धृत किए गए हैं, पर विशेष ध्यान और उल्लेख की आवश्यकता होगी।

आदेश दिनांकित28 अप्रैल, 2015:

"संबंधित मुख्य सचिवों की ओर से कार्य करने वाली सभी राज्य सरकारें आज से चार सप्ताह के भीतर श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 17-बी के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति करेंगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मजीठिया वेतन बोर्ड अभिनिर्णय के तहत पत्रकारों सहित समाचार पत्र कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की देनदारियों और हकदारियों को लागू किया गया है या नहीं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करेंगे और प्रत्येक राज्य के श्रम आयुक्तों के माध्यम से इस

न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऊपर बताए गए मुद्दे पर सटीक निष्कर्ष होंगे।"

(बल दिया गया है।)

आदेश दिनांकित 14 मार्च, 2016:

हमने न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वेज बोर्ड की सिफारिशों के तहत देनदारियों से बचने के लिए सेवाओं की गलत रूप से समाप्ति और अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए दायर किए गए विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदनों पर भी ध्यान दिया है। चूंकि अब तक प्राप्त शिकायतें पर्याप्त संख्या में है, इसलिए यह न्यायालय व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मामले की जांच करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, हम प्रत्येक राज्य के श्रम आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वे ऐसी सभी शिकायतों पर गौर करें और उन पत्रवालियों के निर्धारण पर न्यायालय के समक्ष आवश्यक रिपोर्टें दें, जो 12 जुलाई, 2016 को या उससे पहले दायर की जाएंगी। हम प्रत्येक कर्मचारी को, जिसने अंतवर्ती आवेदन दायर किए हैं और ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्होने अभी तक इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन जिनकी उपरोक्त

प्रकार की शिकायत है, उन्हें वर्तमान आदेश के संदर्भ में संबंधित राज्य के श्रम आयुक्त के पास जाने की स्वतंत्रता देते हैं।

(बल दिया गया है।)

आदेश दिनांकित08 नवंबर, 2016:

"विभिन्न राज्यों के श्रम आयुक्तों से मांगी गई रिपोर्टों के आधार पर मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की कवायद को जिन कारणों से वर्तमान में रिकॉर्ड करना हम आवश्यक नहीं समझते हैं, उन्हें बाद की तारीख के लिए स्थगित दिया जाता है।इसके बजाय, यह विवेकपूर्ण और वास्तव में आवश्यक होगा कि कानून के कुछ ऐसे प्रश्नों का निर्णय किया जाए जिन्हे सूत्रबद्ध किया गया है और जिन्हें श्री कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता, द्वारा न्यायालय के अनुरोध पर पेश किया गया है।

एक बार कानूनी फॉर्मूलेशन पर विचार करने और निर्णय लेने के बाद, मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू

करने की व्यवस्था के संबंध में आगे के आदेश जारी किए जाएंगे।" (बल दिया गया है।)

15. न्यायालय के पूर्वोक्त आदेशों के आधार पर, विभिन्न राज्यों के श्रम आयुक्तों द्वारा मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति इंगित करते हुए कई रिपोर्ट पेश की गई हैं। उक्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ राज्यों में कुछ संस्थानों ने अधिनिर्णय को पूरी तरह से लागू किया है, जबकि अन्य ने इसे आंशिक रूप से लागू किया है। कुछ मामलों में कार्यान्वयन के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अधिनिर्णय के गैर-कार्यान्वयन या आंशिक कार्यान्वयन के कारणों को, जैसा कि श्रम आयुक्तों की रिपोर्टों से स्पष्ट है, चार रूपों में पहचाना जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं।

(1) जैसा कि श्रम आयुक्तों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कि कुछ संस्थानों में कई कर्मचारी मजीठिया अवार्ड के खंड 20 (जे) के अनुसार उस वेतन संरचना द्वारा शासित होने के लिए सहमत हुए हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने और अधिसूचित करने से पहले मौजूद थी। कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से ऐसे उपक्रमों की प्रामाणिकता और स्वैच्छिकता के मुद्दे को उठाना भी श्रम आयुक्त की रिपोर्टों में भी उजागर किया गया है, जिसमें संकेत

दिया गया है कि ये अधिनियम की धारा 17 (उपरोक्त उद्धृत) के प्रावधानों के तहत  न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।

(2) मजीठिया वेतन बोर्ड अधिनिर्णय की शर्तें केवल समाचार पत्र संस्थानों द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिए लागू की जानी आवश्यक हैं संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं।

(3) मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए गए "परिवर्तनीय वेतन"के तत्व को महंगाई भत्ते आदि जैसे अन्य भत्तों की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) श्रम आयुक्तों द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में समाचार पत्र संस्थानों ने गंभीर वित्तीय बाध्यताओं को देखते हुए बकाया राशि का भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

16. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार किए जाने और अधिनियम की धारा 12 के तहत इसे अधिसूचित किए जाने के बाद श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारी मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के अनुसार अपना वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। अवमानना याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह अधिनियम की धारा

13सपठित धारा 16के प्रावधान से उत्पन्न है, जिसके तहत, अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर वेतन बोर्ड की सिफारिशें, श्रमजीवी और गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को शासित करने वाली विशिष्ट अनुबंधित व्यवस्थाओं सहित सभी मौजूदा व्यवस्थाओं का स्थान लेती हैं।केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत और वेतन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए वेतन की संबंधित श्रमजीवी और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अधिनियम द्वारा गारंटी दी जाती है। अधिक लाभकारी और अनुकूल दरों को अपनाने के लिए ही अधिसूचित वेतन को छोड़ा जा सकता है। इसलिए, अवमानना याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि कोई भी ऐसा समझौता या उपक्रम जो पिछले वेतन ढांचे द्वारा शासित हो, जो मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई तुलना में कम अनुकूल हो, कानून में गैर-कानूनी है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि उक्त उपक्रमों में से कोई भी स्वैच्छिक नहीं है और दबाव और स्थानांतरण/समाप्ति के खतरे के तहत प्राप्त किया गया है। इसलिए, अवमानना याचिकाकर्ता आग्रह करते हैं कि उपरोक्त सीमा तक मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाये।

17. अवमानना याचिकाकर्ताओं का पक्षयह है कि जहां तक परिवर्तनीय वेतन, संविदा कर्मचारियों और वित्तीय क्षमता का संबंध है, उपरोक्त

सभी मामलों पर मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद इस बारे में आगे किसी बहस या विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है।अनुमोदित और अधिसूचित वेतन बोर्ड की सिफारिशें संविदा कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होंगी,जो परिवर्तनीय वेतन सहित सभी भत्तों के हकदार होंगे। सभी नियोक्ता निर्धारित तिथि से बकाया राशि अदा करने के लिए भी बाध्य हैं, जब तक कि किसी संस्थान को अधिनिर्णय के कार्यान्वयन की तारीख से पहले के तीन पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में भारी नकद नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है, जिसकी पहचान केवल नियोक्ता द्वारा अनुमानित वित्तीय कठिनाइयों से की जाएगी।

18. अवमानना याचिकाओं का विरोध करते हुए समाचार पत्र संस्थानों की ओर से यह प्रतिवाद किया गया है कि अवमानना याचिकाकर्ताओं की ओर से जो चार मुद्दे बताए गए हैं, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, उन पर रिट याचिका संख्या 246/2011में दिनांक 07.02.2014 को पारित मुख्य निर्णय में किसी भी तरह से विचार नहीं किया गया है। इसलिए, यह कहा गया कि अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, मुख्य रिट याचिका में दिनांक 07.02.2014 को पारित निर्णय की ना तो विस्तार से व्याख्या की जा सक्ति है, न ही इसे स्पष्ट किया जा सकता

है और न ही उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ताकि कथित गैर-अनुपालन को सीमित अवमानना अधिकार क्षेत्र के भीतर लाया जा सके। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किए गए चार मुद्दे, 2011 की रिट याचिका संख्या 246 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2014 का हिस्सा नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी समाचार पत्र संस्थान कथित रूप से उन शर्तों/आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए अवमानना का दोषी है,जिनको अब मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय का हिस्सा बनाए जाने की मांग की जा रही है और इसलिए इसे रिट याचिका संख्या 246/2011 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2014 का एक हिस्सा होने का दावा किया गया है जिसके संबंध में अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

19. जहां तक सिविल अवमानना के मामले में न्यायालय की शक्तियों की रूपरेखा का संबंध है, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में इस पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, कपिलदेव प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य((1999) 7 एससीसी 569)के प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणियों का प्रसंग दिया जा सकता है

> "प्रतिवादी को अवमानना, उसमें सिविल अवमानना का दोषी ठहराने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि न्यायालय के निर्णय या आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति

का प्रयोग तब किया जा सकता है जब न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो। चूंकि अवमानना की अधिसूचना और अवमानना का दंड दूरगामी परिणाम वाला है और इन शक्तियों का तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब एक ऐसा स्पष्ट मामला हो जहांन्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई हो। किसी विशेष मामले में अवज्ञा जानबूझकर की गई है या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायिक आदेशों को उचित रूप से समझना और उनका पालन करना होता है। यहां तक कि लापरवाही और असावधानी से भी आदेश की अवज्ञा की श्रेणी में आ सकती है, विशेष रूप से जब व्यक्ति का ध्यान न्यायालय के आदेशों और उसके निहितार्थ की ओर आकर्षित किया जाता है।"

..... ..... .....

अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र उस व्यक्ति को दंड प्रदान करने के लिए मौजूद है जो न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या लगातार आदेश की अवहेलना करता है।

..... ..... .....

कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। जानबूझकर की गई अवहेलना में आकस्मिक, सद्भावपूर्ण या अनजाने में किए गए कार्यों या आदेश की शर्तों का पालन करने में वास्तविक असमर्थता को शामिल नहीं किया जाएगा। एक याचिकाकर्ता जो न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की शिकायत करता है, उसे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर या कपटपूर्ण अवज्ञा का आरोप लगाना चाहिए।"

(बल दिया गया है।)

20. इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय द्वारा अशोक पेपर कामगर यूनियन बनाम धरम गोधा ((2003) 11 एससीसी, 1), अनिल कुमार शाही बनाम प्रोफेसर राम सेवक यादव((2008) 14 एससीसी 115), झरेश्वर प्रसाद पॉल बनाम तारक नाथ गांगुली((2002) 5 एससीसी 352), भारत संघ बनाम सूबेदार देवासी पीवी((2006) 1 एससीसी 613), बिहार फाइनेंस सर्विस हाउस कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम गौतम गोस्वामी((2008) 5 एससीसी 339),छोटूराम बनाम उर्वशी गुलाटी((2001) 7 एससीसी 530)में व्यक्त किया गया है। इसमें दी गई राय में एकरूपता के मद्देनजर, इस आदेश को किसी भी

विस्तृत संदर्भ से बोझिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो उपरोक्त मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, सिवाय इस बात को दोहराने के कि किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराने के लिए आवश्यक सबूत का मानक एक आपराधिक कार्यवाही के समान होना चाहिए और कथित उल्लंघन को सभी उचित संदेह से परे साबित करना होगा [छोटू राम बनाम उर्वशी गुलाटी (उपर्युक्त)]। हाल के समय में इस न्यायालय द्वारा नूर सबा बनाम अनूप मिश्रा((2013) 10 एससीसी 248)में व्यक्त किया गया विचार है जिसमें न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के मामले में अवमानना शक्ति के दायरे को रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित तरीके से निपटाया गया है-

> "प्रतिवादी या उनमें से किसी को भी अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि प्रतिवादी ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग प्रकृति में सीमित है और न्यायालय की जानबूझकर अवज्ञा के लिए कथित अवमानना का अधिनिर्णय समान्यतः स्वीकृत और निर्विवाद तथ्यों पर किया जाता है। वर्तमान मामले में न केवल उन बुनियादी तथ्यों के संबंध में याचिकाकर्ता के रुख में बदलाव आया

है, जिनके आधार पर अवमानना का आरोप लगाया गया है, यहां तक कि उक्त नए/परिवर्तित तथ्य भी अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप न्यायनिर्णयन की अनुमति नहीं देते हैं,जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि किसी भी प्रतिवादी ने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है।"

(बल दिया गया है।)

21.इसी प्रकार, सुधीर वासुदेव बनाम जार्ज रविशेखन(2014) 3 एससीसी373)के प्रकरण में इस मुद्दे पर इस प्रकार से विचार किया गया है जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हो सकता है। रिपोर्ट का पैरा 19 इस प्रकार है:-

"उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय में अवमानना के लिए दंडित करने की निहित शक्ति संविधान के साथ-साथ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत उपलब्ध एक विशेष और दुर्लभ शक्ति है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो, यदि गलत दिशा में निर्देशित की जाती है, तो अवमानना के आरोप में आरोपित व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बाधित कर सकती है। शक्ति की यह प्रकृति ही न्यायालयों को

उसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ करने का पवित्र कर्तव्य सौंपती है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अक्सर अवमानना याचिका के न्यायनिर्णयन में उस आदेश के अर्थ और प्रभाव के स्व-निर्धारण की प्रक्रिया शामिल होती है जिसके संबंध में अवज्ञा का आरोप लगाया जाता है। इसलिए, न्यायालयों को उस आदेश के सीमित क्षेत्र से आगे नहीं जाना चाहिए, जिसमें कथित रूप से उल्लंघन का दावा किया गया है और न हीनिर्णय या आदेश के उन प्रश्नों, जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है,में प्रवेश करना चाहिए, जिन पर निर्णय में विचार नहीं किया गया है। केवल ऐसे निर्देश जो किसी निर्णय या आदेश में स्पष्ट हों या जो स्वतः स्पष्ट हों, उन्हें इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या इसका कोई अवज्ञा या उल्लंघन जानबूझकर हुआ है। विनिश्चित मुद्दों को फिर से नहीं उठाया जा सकता और न ही न्यायसम्यता के तर्क पर विचार किया जा सकता है। न्यायालयों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अवमानना याचिका पर विचार करते समय समीक्षा या अपील जैसे अन्य सुधारात्मक क्षेत्राधिकारों में न्यायालय

को उपलब्ध शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अवमानना कानून के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा पहले से ही व्यक्त किए गए कोई आदेश या निर्देश के पूरक को जारी नहीं किया जाना चाहिए; इस तरह का  प्रयोग न्यायालय में निहित अन्य क्षेत्राधिकारों में अधिक उपयुक्त है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(बल दिया गया है।)

22. विभिन्न राज्यों के श्रम आयुक्तों द्वारा समय-समय पर पेश की गई रिपोर्टों में दिए गए बयानों से,विभिन्न प्रति-शपथपत्रों में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाए गए रुख से और दाखिल की गई लिखित दलीलों और मौखिक प्रस्तुतियों से भी यह स्पष्ट है कि संबंधित समाचार पत्र संस्थानो द्वारा मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय का आंशिक कार्यान्वयन/कार्यान्वयन न किया जाना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के क्षेत्र और दायरे की समझ के कारण है, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 246/2011में दिनांक 07.02.2014 को पारित फैसले द्वारा उस चुनौती को खारिज कर दिया गया है। अधिनिर्णय के कथित गैर-कार्यान्वयन या आंशिक कार्यान्वयन के लिए, जो भी मामला हो,जो स्टैंड लिया गया है,

वह स्पष्ट रूप से संबंधित समाचार पत्र संस्थानोंद्वाराअधिनिर्णय की समझ से उपजा है, यह हमारा सुविचारित मत है कि उक्त संस्थानो को रिट याचिका संख्या 246/2011में पारित इस न्यायालय के दिनांक 07.02.2014 के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अधिक से अधिक, कथित अवज्ञा अधिनिर्णय की गलत समझ के कारण हुई है जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। इसे इरादतन चूक नहीं कहा जाएगाजिससेन्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(बी) के तहत परिभाषित नागरिक अवमानना की देयता को लागू किया जा सके। हालांकि हमारे सामने यह स्पष्ट है कि ऐसा करने के किसी भी इरादे की अनुपस्थिति में किसी भी समाचार पत्र संस्थान को अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, वे अधिनिर्णय को उसकी उचित भावना और प्रभाव के साथ लागू करने के लिए एक और अवसर पाने के हकदार हैं।

23. मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 246/2011में दिनांक 07.02.2014 को पारित अपने निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए इस अधिनिर्णय को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि यह सही है कि (i) खंड 20 (जे) (ii) क्या यह अधिनिर्णय संविदा कर्मचारियों पर लागू होता है (iii) क्या इसमें परिवर्तनीय वेतन शामिल है और (iv) वित्तीय क्षरण की

सीमा जो बकाया राशि के भुगतान को रोके रखने को न्यायोचित ठहराती है, पर विशेष रूप से न तो अधिनिर्णय में और न ही इस न्यायालय के निर्णय में विचार किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनिर्णय के दायरे की पुनरावृति आवश्यक और उचित होगी। हम इसके बाद ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि न्यायालय के आदेशों का उचित और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

24. जहां तक अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित अधिनिर्णय के खंड 20(जे) के अत्यधिक विवादास्पद मुद्दे का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 2(सी) में परिभाषित प्रत्येक "समाचार पत्र कर्मचारी"के लिए यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि वे वेतन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित मजदूरी प्राप्त करने के पात्र होंगे। अधिसूचित वेतन, मजदूरी को नियंत्रित करने वाले उन सभी मौजूदा अनुबंधों पर अधिक्रमण करता है जो कि पहले से लागू हैं। हालांकि, विधायिका ने धारा 16 के प्रावधानों को शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित और अधिसूचित मजदूरी के बावजूद, संबंधित कर्मचारी अधिनियम की धारा12 के तहत अधिसूचित किए गए लाभों की तुलना में उसके लिए अधिक अनुकूल किसी भी लाभ का प्रतिग्रहण कर सकता है। इसलिए, मजीठीया वेज बोर्ड अधिनिर्णय के खंड 20(जे) को

उपरोक्त प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को देय राशि से कम प्राप्त करने के विकल्प की उपलब्धता पर अधिनियम मौन है। इस तरह का विकल्प वास्तव में माफी के सिद्धांत के दायरे में आता है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो वर्तमान मामले में संबंधित कर्मचारियों के विशिष्ट रुख द्वारा उपक्रमों की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में उनके द्वारा कथित रूप से आरोप लगाए जाने के मद्देनजर उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए, उत्पन्न होने वाले विवाद को अधिनियम की धारा 17 के तहत तथ्य खोज प्राधिकारी द्वारा हल किया जाना है, जैसा कि इसमें इसके बाद बताया गया है।

25. **ऐसी अवस्था में जिसका सरोकार विधायी इतिहास और ऐसे अधिनियम के अधिनियमन से हासिल होने वाले उद्देश्य से है अर्थात समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए उचित वेतन नहीं तो न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाये**, **बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम अजमेर राज्य(ए आई आर**1955 **एससीसी** 33)**में निर्णीत अनुपात**, **जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम**, 1948 **के तहत अधिसूचित होने वाले वेतन को अपरक्राम्य माना गया वह वर्तमान अधिनियम के तहत अधिसूचित वेतन को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा।** बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) की रिपोर्ट का पैरा 4, जो उपरोक्त मुद्दे से संबंधित है, विशिष्ट ध्यान देने के लिए यहां नीचे उद्धृत किया गया है।

"यह अविवादित है कि श्रमिकों को जीवनयापन के लिए मजदूरी की सुरक्षा, जो न केवल शारीरिक निर्वाह को सुनिश्चित करती है, बल्कि स्वास्थ्य और शालीनता को बनाए रखना भी सुनिश्चित करती है, जनता के सामान्य हित के लिए अनुकूल है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में सन्निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह सर्वविदित है कि 1928 में जिनेवा में न्यूनतम वेतन निर्धारण मशीनरी सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता में शामिल किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को इन प्रस्तावों को प्रभावी करने की दृष्टि से पारित किया गया है - दक्षिण भारत सम्पदा श्रम संबंध संगठन बनाम मद्रास राज्य(ए. आई. आर. 1955 मद्रा पृष्ठ संख्या 47)

यदि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के उपभोग को सुरक्षित किया जाना है और उन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण से बचाया जाना है, तो यह आत्यन्तिक रूप से आवश्यक है कि अनुबंध की उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस तरह के प्रतिबंधों को

किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, नियोक्ताओं की शिकायत को नहीं सुना जा सकता है यदि उन्हें अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही श्रमिक अपनी गरीबी और बेबसी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हों।"

(बल दिया गया है।)

26. अधिनियम के उपबंधों या वेतन बोर्ड अधिनिर्णय के निबंधनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह अभिनिर्धारित करने में सक्षम बनाए कि अधिनिर्णय के लाभ नियमित कर्मचारियों तक सीमित होंगे न कि संविदात्मक कर्मचारियों तक। इस संबंध में हमने अधिनियम की धारा 2(सी), 2(एफ)और 2(डीडी) में परिभाषित "समाचार पत्र कर्मचारी", "कार्यशील पत्रकार"और "गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी"की परिभाषा पर ध्यान दिया है। जहाँ तक "परिवर्तनीय वेतन"का संबंध है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है और ऊपर पैरा 7 में उद्धृत किया गया है, इस न्यायालय ने परिवर्तनीय वेतन की अवधारणा पर विचार करते हुए यह विचार किया है कि उक्त अनुतोष को मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय में शामिल किया गया है ताकि समाचार पत्रों के कर्मचारियों के साथ उचित और समान व्यवहार किया जा सके। इसलिए, परिवर्तनीय वेतन के संबंध

में किसी अन्य दृष्टिकोण को अपनाकर कथित लाभ को रोकने का कोई सवाल नहीं उठता है। वास्तव में, अधिनिर्णय के प्रासंगिक भाग को पढ़ने से यह पता चलता है कि अधिनिर्णय में शुरू की गई परिवर्तनीय वेतन की अवधारणा छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में निहित ग्रेड पे से उत्पन्न होती है और इसका उद्देश्य अधिनियम द्वारा कवर किए गए कार्यरत पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को यथासंभव केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाना था। जहां तक भारी नकद नुकसान की अवधारणा का संबंध है, हमारा विचार है कि यह अभिव्यक्ति अपने आप में इंगित करती है कि यह मात्र वित्तीय कठिनाइयों से अलग है और इसके लिए यह आवश्यक है की इस तरह की वित्तीय कठिनाई प्रकृति में अक्षम होने की सीमा के अतिरिक्त अधिनिर्णय में निर्धारित समयावधि तक बनी रहनी चाहिए। यह एक तथ्यगत प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना है।

27. इस मामले में सभी शंकाओं और अस्पष्टताओं को स्पष्ट करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि हमारे समक्ष आने वाले मामलों के तथ्यों में किसी भी समाचार पत्र संस्थान को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, हम निर्देश देते हैं कि अब से मजीठिया वेज बोर्ड अधिनिर्णय को लागू न करने पर अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के संदर्भ में सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाए।

न्यायालयों के अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए या अन्यथा भविष्य में न्यायालय की शरण में जाने के बजाय अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रवर्तन और उपचारात्मक प्रक्रिया का सहारा लेकर ऐसी शिकायतों को हल करना अधिक उपयुक्त होगा।

28. जहां तक स्थानांतरण/समाप्ति, जैसा भी मामला हो, में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं का संबंध है,ऐसा प्रतीत होता है कि वे संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं की सेवा से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की उच्च विशेषाधिकार रिट अधिकार क्षेत्र के उपयोग में इस तरह के प्रश्न का न्यायनिर्णयन न केवल अनुचित होगा, बल्कि ऐसे प्रश्नों को अधिनियम के तहत या कानून के संज्ञेय प्रावधानों (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 आदि) के तहत, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अवधारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

29. उपरोक्त के प्रकाश में, सभी अवमानना याचिकाओं के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिकाओं का उत्तर दिया जाता है और इनका निस्तारण उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

**न्यायाधीश (रंजन गोगोई)**

**न्यायाधीश (नवीन सिन्हा)**

नई दिल्ली

19 जून, 2017

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से  किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।